हम अपने कर्मचारियो को महत्व देते है
हम अपने पेंशनभोगियों की चिंता करते है
कार्यालय प्रधान नियंत्रक, संचार लेखा, दिल्ली क्षेत्र
द्वारा दूरसंचार पेंशनभोगियों के लिए

पेंशन अदालत का आयोजन

28.12.2018 (शुक्रवार) को पूर्वाहन 11.00 बजे

जिन दूरसंचार पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी को पेंशन भुगतान आदेश (PPO) इस कार्यालय द्वारा निर्गत/अधिकृत अथवा जारी किया गया है तथा जो दिल्ली क्षेत्र में स्थित बैंक/डाकघर/प्रधान लेखा कार्यालय आदि से पेंशन ले रहे है, वे अपनी पेंशन संबंधी शिकायते, यदि कोई हो तो, लेखाधिकारी, पेंशन कार्यालय प्रधान नियंत्रक, संचार लेखा, प्रसाद नगर, नई दिल्ली-110005 के पास निधारित प्रपत्र में विवरण भरकर 14.12.2018 तक आवश्यक रूप से भेज दे।

निर्धारित प्रपत्र में पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी का नाम, पदनाम, सेवानिवृत्ति की तिथि, पेंशन भुगतान आदेश संख्या (PPO No.) अंतिम सेवा कार्यालय, पता, पेंशन, सवितरण अधिकारी जहा से पेंशन प्राप्त कर रहे है उस बैंक/डाकघर अथवा कार्यालय का संपर्क नंबर आदि अवश्य दे।

निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाली शिकायतों पर इस पेंशन अदालत में विचार नहीं किया जाएगा किन्तु उन शिकायतों को सामान्य की तरह देखा जाएगा ।

निर्धारित संलग्न प्रपत्र पूर्ण विवरण सहित दो प्रतियों मे अग्रेषित करने का अनुरोध किया जाता है। जिन शिकायतों का निवारण दिनाक 27.12.2018 तक हो जाता है उन पेंशनभोगियों को यथोचित सूचना भेज दी जाएंगी। फिर उन्हे इस अदालत में आने की आवश्यकता नहीं है ।

अदालत में मूलत: उन शिकायतों पर ही विचार किया जाएगा जो काफी समय से लम्बित है ।

जिन व्यक्तियों को इस कार्यालय द्वारा भुगतान आदेश (PPO) जारी नहीं किया गया है, वो कृपया इस अदालत में आने का कष्ट ना करें।

जो विषय नीतिगत मामलों से संबंधित है तथा इस कार्यालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उन मामलों मे इस अदालत द्वारा विचार नहीं किया जाएंगा ।

निधारित प्रपत्र इस कार्यालय की वेबसाइट www.dot.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है अथवा इस कार्यालय के लेखाधिकारी (पेंशन) से भी प्राप्त किया जा सकता है ।